

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक गंगापुरसिटी

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित एवं अभिरस्तावित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक:- शिविरा-मा/संस्था/एफ-1 /12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-2022 दिनांक 02-09-2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को दिनांक 09-09-2023 को आयोजित परामर्श कैम्प के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर विद्यालय आवंटित किए गए थे।

उक्त में से निम्नलिखित ऐसे अभ्यर्थियों जिनके SPECIAL COMMENT के कॉलम में ONLY COUNSELING अंकित है, इन्हें निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक:- शिविरा-मा/संस्था/एफ-1 /12102(203)/सी.भ./पीटीआई/ 2021-2022 दिनांक 16-09-2023 के अनुसरण में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/-रु. (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह/विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियों की जावेगी।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेन्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चरप्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर ले की जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर कार्यग्रहण करें, एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चरप्पा कर प्रमाणित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धित नवीनतम सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं है।
3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7 (1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बन्धित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धित प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का मात्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2013 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
8. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व: घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करने की यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई तो उन्हें प्रवृत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो की "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र माता-पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने माता-पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
13. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ दस्तावेज सही हैं। इनके द्रुति पूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उसके नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09-10-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इन्हें शालादर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- संलग्न :- आदेश संख्या 02 (पृष्ठ संख्या 01 से 03)**

(गंगासहाय मीन)

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक, गंगापुरसिटी(राज0)

क्रमांक :- जिशिक्षा/मुख्या/माशि/गंगापुर सिटी/संस्था-1/फा.नियु.शा0शिक्षाअध्यापक सीधी भर्ती 2022/2023/114-128 दिनांक-18-09-2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
04. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
05. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
07. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
08. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर, रायगांव - भरतपुर।
09. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक रावाई माधोपुर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 रायगांव शिक्षा अभियान.....
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके पश्चिमे के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किए जा रहे हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
12. सम्बन्धित अभ्यर्थी.....
13. सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

(गंगासहाय मीन)

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक गंगापुरसिटी(राज0)

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक गंगपुर सिटी

विवरण / मुख्या / माध्य / गंगपुर सिटी / संस्था-1 / सी.म. / पीटीआर / 2021-22 / 2023 / 114-128

दिनांक : 18-09-2023

आदेश संख्या - 02

S.NO	ROLL NO	NEW NAME	NAME	FNNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	ADDRESS	POSTING PALACE	BLOCK	PHOTO
1	705623	3473	PINTI MEENA	DHARM SINGH MEENA	15-Sep-00	Female	ST	--	ST	VPO BAMANWAS PATTI KALAN SAWAI MADHOPUR - District SAWAIMADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHADIPURJA (212759)(081001156021)	BAMANWAS	
2	712645	2198	MANISH CHOUDHARY	BANNA LAL CHOUDHARY	25-Jul-03	Male	OBC	--	OBC	LAKHAWALI KI DHANI HASAMPURA BHANKROTA District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BLOH DEHARI (400225)(081001140021)	BAMANWAS	
3	730039	2231	MANOJ SAINI	KALU RAM SAINI	01-Jan-95	Male	OBC	--	OBC	NEAR KESHAVE VIDHYA PEET MALVO KI DHANI SUMEL JAMDOU AGRA ROAD JAIPUR District JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SITOR (212746)(081001080021)	BAMANWAS	
4	726361	2349	RAMESHWAR LAL JAT	BHANWAR LAL JAT	05-Oct-89	Male	OBC	--	OBC	VILLAGE-SUBBAMPURA POST-BHAMBHORI VIA-KALWARA District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BADOLA (495653)(081001125021)	BAMANWAS	
5	700876	2411	VISHAL CHOUDHARY	MOTI RAM CHOUDHARY	13-May-00	Male	OBC	--	OBC	SHYONATH BABA KI DHANI RAILWAY STATION DHANVA. District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DANTASUTI (495484)(081001021021)	BAMANWAS	
6	732201	2476	SANIL SYAG	MAHENDER SYAG	16-Jun-96	Male	OBC	--	OBC	WARD NO. 14 GAU NO. 11 VPO. NAKKASAR DISTRICT HANUNANGARH	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL NOKACHA KA PURA (457082)(081003000021)	GANGAPUR CITY	

(गंगा सहज सेवा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय माध्यमिक)
गंगपुर सिटी